

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट : www.gmcbhopal

Phone Number – 0755 - 4050000

क्रमांक 10130-50 / एम.सी/एन.एच.एम. (6) / 2021

भोपाल, दिनांक : 8 / 4 / 2021

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एच.आर / सेल-01 / 2021 / 5154 / दिनांक 19-03-2021 के संदर्भ अनुसार कोविड - 19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु एवं बढ़ते हुए प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को 10 एम.एम.यू.टी.म. के लिये अतिरिक्त मानव संसाधन को मासिक मानदेय के आधार पर किये गये अस्थाई स्वीकृति दिनांक 31-05-2021 तक प्रदान की गई है,

जिसके लिये संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल द्वारा वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 23-03-2021 में चयनित निम्नलिखित स्टाफ नर्स (महिला/पुरुष) की निश्चित मानदेय रू. 20,000/- पर नियुक्त किया जाता है।


क्रमांक	नाम	पिता का नाम
1.	मोनिका राठौर	श्री. सतेन्द्र कुमार राठौर
2.	ज्योति भारती	श्री. शिवप्रसाद
3.	खुशुबू जंगेला	श्री. चिरोंजी लाल
4.	कीर्ति	श्री. राजेश कुमार
5.	धामिनी राठौर	श्री. सतेन्द्र राठौर
6.	पूर्णिमा वरवरे	श्री. दशरत वरवरे
7.	पूजा येदुवंशी	श्री. बलिराम येदुवंशी
8.	मीना पटेल	श्री. समय लाल पटेल
9.	प्रियंका आर्या	श्री. दिनेश आर्या
10.	अंजना सनोदिया	श्री. रामगोपाल सनोदिया

सेवा शर्तें

1. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता , गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में दिनांक 31-05-2021 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिय प्राप्त नहीं होगा।
3. इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।


4. अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, अनुबन्ध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवा प्रदाता कार्य दायित्व संभालेगा।
5. अनुबन्ध (रु. 500/- स्टाम्प) निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदता द्वारा वहन किया जायेगा।
6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानुनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिती अंघोहस्ताक्षरकर्ता कार्यलय की एन.एच.एम. शाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबन्ध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।


 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक...../एम.सी/एन.एच.एम. (6)/2021 भोपाल, दिनांक :/...../2021
 प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में।
6. संभागयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
8. अपर संचालक आई.डी.एस.पी. संचलानलय स्वास्थ्य सेवाए।
9. उप संचालक मानव संसाधन/लीगल एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल।
11. अधीक्षक, आर.आर.आई.डी. (क्षय) चिकित्सालय भोपाल।
12.संबधित कर्मचारी।
13. आदेश नस्ती।


 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल